© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2276-6848 | Volume: 06 Issue: 01 | Jan-April 2015

आजाद हिन्द फौज के मुकदमें पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अमनजीत सिंहए एम.फिल.ए इतिहास विभागए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।

ISSN : 2278-6848
9 772278 684800 03
© International Journal for Research Publication and Seminar

आजाद हिन्द फौज का गठन सर्वप्रथम मोहन सिंह ने किया था वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब दक्षिण पूर्व एशिया के देशो में जापानियों ने ब्रिटेन को पराजित कर दिया तो अनेक सिपाहियों को जापानियों ने बंदी बना लिया और इन बन्दी सैनिकों को मोहन सिंह को साप दिया गया । इन सैनिकों को एकजुट करके मोहन सिंह ने आजाद हिन्द फौज का गठन किया लेकिन सैनिकों की संख्या को लेकर मोहन सिंह का जापानियों से मतभेद हो गया जिस कारण उनको जापान की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई।

आजाद हिन्द फौज का दूसरा चरण तब शुरू हुआ जब सुभाष बोस जर्मनी जापान से सिंगापुर लौटे जापानी सम्राट ने सुभाष बोस को सहायता का आश्वासन दिया और उन्होंने फिर सिंगापुर में 21 अक्तूबर 1943 को स्वाधीन भारत की सरकार गठित की और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका के खिलाफ युद्ध की घोषणा को। जर्मनी जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता दे दी। नवम्बर 1948 में जापानियों ने अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आजाद हिन्द फौज को सौंपने के अपने निर्णय की घोषणा की इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिन्द फौज ने साहसिक शुरूआत की। भारतीय लोगों व समुद्र पार रहने वाले भारतीयों ने धन और सामग्री देकर आजाद हिन्द फौज का खुलकर सहयोग किया और आजाद हिन्द फौज के नारे भी बड़े जोशीले थे। ''जयहिन्द'' और ''दिल्ली चलो'' सबसे अधीन प्रसिद्ध की वह घोषणा की जिसमें उन्हाने कहा ''तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'' जापानियों के सहयोग से आजाद हिन्द फौज ने अपना विजय अभियान शुरू किया और 1944 में भारतीय सीमा पार कर तिरंगा झण्डा फहराया परन्तु अपनी प्रारम्भिक सफलता के बाद इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा जिसके अनेक कारण थे जिसमें प्रमुख कारण यह था कि द्वितिय विश्वयुद्ध का रूख बदल रहा था। अनेक जगहों पर जापान व जर्मन सेनाए पराजित हो रही थी जिस कारण आजाद हिन्द फौज को भी पिछे हटना पड़ा। जापान के आत्मसर्पण के बाद जब आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को युद्धबन्दी के रूप म भारत लाया गया और उन्हें कठोर दण्ड देने की तजवीज होने लगी तो पूरे राष्ट्र में सभाएं हुई, जलूस निकाले गए, हड़ताले हुई। इस समय आई.एन.ए.क. 2000 जवान युद्धबन्दी थे। इनमें से छः को सरकार ने गोली मार दी।

आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के विरूद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के प्रति भारतीय जनमत के बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आई.एन.ए.के. सैनिकों पर अधिक संख्या में अभियोग चलाना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सरकार ने कुछ चुने हुए सैनिकों व अफसरों पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ। कमांडर इन चीफ ने सैनिकों व अफसरों एक सूची प्रस्तुत की जिसमें 92 व्यक्तियों के नाम थे जिन पर क्रूरतापूर्वक हत्या करने तथा जापान की साम्राज्यवादी सेना के सदस्यों का साथ देने व सम्राट के विरूद्ध युद्ध करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाना था और अंतिम स्तर पर कमाण्डर इन चीफ वायसराय के समीप केवल 7 नाम ही प्रस्तुत कर सके जिनके नाम इस प्रकार है। प्रेम कुमार सहगल, गुरूबख्श सिंह ढिल्लों, बुराहानुद्दीन, शाहनवाज खां, अबुल रशीद, धार सिंह और फतेह खां आदि थे और अन्तिम समय में सरकार ने केवल तीन प्रमुख अफसरों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था। और ये तीन अफसर थे प्रेम कुमार सहगल, गुरूबख्श सिंह ढिल्लों तथा शाहनवाज खां इन तीनों अफसरों पर मुकदमें की शुरूआत 5 नवम्बर 1945 को दिल्ली के लाल किले में आरम्भ हुई यह मुकदमा 31 दिसम्बर 1945 ई. तक चलाया गया था । ब्रिटिश सरकार द्वारा इन तीनों अफसरों पर भारत के महामहिम सम्राट के विरूद्ध युद्ध छेड़ने का केस बनाया गया था और सैन्य कानून के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया।

कांग्रेस के द्वारा इन अभियुक्तों का केस लड़ने के लिए एक सुरक्षा समिति बनाई गई थी इस समिति में देश के जाने–माने वकील शामिल थे। कांग्रेस द्वारा बनाई गई इस सुरक्षा समिति का अध्यक्ष तेज बहादुर सपू को बनाया गया था। लेकिन बाद में इनके बीमार हो जाने के कारण भोलाभाई देसाई को उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया।

यह मुकदमा लगभग दो महीने तक दिल्ली के लाल किले में चला यह तीनों ही अफसर मुकदमें के समय न्यायालय में सैनिक वेशभूषा में ही अदालत के सामने उपस्थित होते थे। इस कार्यवाही को लेकर भारतीय जन में पहले ही बहुत ज्यादा आक्रोश था । इनके मुकदमों से सम्बन्धित खबरें जब अखबारों में प्रकाशित होती थी तो आम जन ने इन सैनिकों के प्रति और भी ज्यादा सहानुभूति पैदा होती गई। भारतीय प्रेस ने भी बड़ी सिद्दता के साथ अपना फर्ज अदा किया और आम जन तक इस मुकदमें की खबरों को जनता तक पहुंचाने का साहसिक कार्य किया। शीघ्र ही पूरे देश में इन सैनिको ने पक्ष में राष्ट्रीय महौल बन गया भारत के राजनीतिक दलों जिनके प्रमुख रूस से कांग्रेस, हिन्दु महासभा, मुस्लिम लीग,

कम्युनिस्ट पार्टी, युनिनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आदि ने भारतीय जनमत में बढ़ते विरोध को देखते हुए आजाद हिन्द फौज के पक्ष को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया।

कांग्रेस के अधिकतर नेता प्रारम्भ में आई.एन.ए.के. प्रति अच्छे नहीं थे। अधिकतर नेताओं का मानना था कि इस सेना के अफसर पथभ्रष्ट है उनका मानना था कि विदेशी सहायता प्राप्त यह संख्या आगे आने वाले समय में कोई विश्वसनीय कार्य नहीं कर पाएगी। फिर कांग्रेस के नेताओं ने आई.एन.ए.के. के प्रति भारतीय जनता की उमड़ती सहानुभूति को देखते हुए उनका समर्थन करने का निश्चय किया महात्मा गांधी भी सुभाष चन्द्र बोस को देशभक्त तो मानते थे। परन्तु उन्हें अपने रास्ते से भटका हुआ समझते थे। कांग्रेस के अलावा देश की अन्य राजनीतिक पार्टीयां भी आई.एन.ए.के. सैनिकों की सहायता के लिए आगे आई। कांग्रेस समाजवाटी पार्टी जो इस फौज के प्रति ज्यादा सहानुभूति नहीं रखती थी वह भी इन सैनिकों की रिहाई के पक्ष में थी।

मुस्लिम लीग के नेतोओं का रूख भी आजाद हिन्द फौज के प्रति ज्यादा सकारात्मक नहीं था। और आई.एन.ए. के कार्यक्रम में उनकी कोई रूचि नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग के मुकदमों से जुड़ने का प्रमुख कारण कैप्टन अबदुल रसीद जो एक मुस्लिम था यह मुकदमें के कारण था और एक तथ्य आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम जनता में अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आजाद हिन्द फौज के अफसरों की रिहाई की मांग की और आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल प्रान्तों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। लीग मुसलमानों के हितों की रक्षक बनकर उभरी।

हिन्दु महासभा के नेता इन मुकदमों को लेकर ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे थे और आमजन की यह धारणा बन रही थी कि किसी भी तरह इन सैन्य अफसरों के फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आमजन की नजरों में ये सैन्य अफसर सच्चे देशभक्त थे। आमजनता यह मानती थी कि ये सैनिक देशद्रोही नही बल्कि देशभक्त थे और 5 नवम्बर से 11 नवम्बर तक आजाद हिन्द फौज दिवस मनाया गया और देश की सभी राजनीतिक दलों के द्वारा आजाद हिन्द फौज के सैनिकों व अफसरों की रिहाई की मांग की।

राजनीतिक दलों के अलावा आम जनता में इन सैनिकों के प्रति गहरा जुड़ाव था ब्रिटिश खुफिया विभाग ने यह जानकारी दी कि देश में इससे पहले किसी घटना ने आज जनता को इतना प्रभावित नहीं किया जितना आजाद हिन्द फौज क मुकदमें ने किया जगह–जगह सरकार के खिलाफ जनरोष व्यक्त हो रहा था और सबसे ज्यादा सक्रिय थे छात्र

वे जगह जगह पर प्रदर्शन तथा सभाओं का आयोजन कर रहे थे। बंगाल में जब इस मुकदमे का पता चला तो फारवर्ड ब्लॉक के विधार्थियों द्वारा एक जूलुस का आयोजन किया । इस आयोजन में कम्युनिस्ट स्टुडेन्ट भी शामिल हो गये। धीरे–धीरे मुस्लिम लीग के विधार्थी भी मुस्लिम लीग का झण्डा लेकर प्रदर्शन में शामिल हो गए। विधार्थियों ने लीग, कांग्रेस व कम्युनिस्टों के झंडे को एक साथ बांधकर साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर अद्‌भुत एकता का परिचय दिया।

इस प्रकार देश के अन्य प्रान्तों पंजाब, दिल्ली संयुक्त प्रान्त, बम्बई में आन्दोलन और भी उग्र हो गया था। शहरों के अलावा गांव में भी इन अफसरों के प्रति सहानुभूति पूर्ण माहौल बना हुआ था। यहां तक जो भी वर्ग या व्यक्ति ब्रिटिश सरकार को समर्थन कर रहे थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और इन सैन्य अफसरों का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार को यह समझने में बिल्कुल देर नही लगी कि अगर इन सैन्य अफसरों को सजा दी गई तो पूरे देश में उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है अधिकतर सरकारी कर्मचारी भी आजाद हिन्द फौज के अफसरों व सैनिकों के पक्ष में थे । सरकार की गुप्तचर एजेंसियों ने भी ब्रिटिश सरकार को आगाह किया कि आपकी सबसे विश्वसनीय व आधार स्तम्भ ब्रिटिश इण्डियन आर्मी भी आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के प्रति सहानुभूति रखती है। और बम्बई में तो नौ सेना ने विद्रोह भी कर दिया।

अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के विरोध प्रदर्शन व आजाद हिन्द फौज के प्रति उनकी गहरी रूप से जुड़ाव को देखते हुए आजाद हिन्द फौज के तीनों अभियुक्तों की सजा माफ कर दी गई । इसके बावजूद सरकार ने एक अन्य अभियुक्त अब्दुल रशीद के सात वर्ष की सजा सुना दी।

जिसका मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया और अंत में सरकार ने सभी की सजा को माफ कर दिया।

उपसंहारः

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आजाद हिन्द फौज के ऐतिहासिक मुकद्में ने ना केवल राष्ट्रवाद को सशक्त किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भी जड़े हिला दी। आजाद हिन्द फौज के युद्ध के बाद व सुभाष चन्द्र बोस की शहीदी के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अभियोग चलाया गया इसके परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस मुकदमें से एक तरफ भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय

चेतना आई । वही दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के आधार स्तम्भ को भी हिलाकर रख दिया था। इस अभियोग ने भारत के सभी राजनीतिक दलों व साम्प्रदायिक दलों को भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया देश में राष्ट्रीय एकता का माहौल पैदा किया तथा साम्प्रदायिक राजनीति पर अंकुश लगाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई।

सन्दर्भ ग्रंथ सूचीः

अय्यर, एस.ए., आजाद हिन्द फौज की कहानी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 2006

बसु शिविर कुमार, आजादी की लड़ाई में आई.एन.ए. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 2011

चंद, तारा, भारत का स्वतंत्रता आन्दोलन, भाग–3, 4, पब्लिकेशन विभाग, नई दिल्ली, 2005

चन्द्र विपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 2011

बंधोपाध्याय, शेखर, प्लासी से विभाजन तक, ओरियन्ट ब्लैक स्वान प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2009

सरकार सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010

शुक्ल, रामलखन, आधुनिक भारत का इतिहास दिल्ली, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 2010